त्रिपुरा में तेल की खोज

4501. **श्री विनोद शर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा क्षेत्र में कच्चे तेल की संभावनाओं का पता लगाने के बाद वहां तेल निकालने का काम प्रारंभ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब प्रारंभ किया गया तथा उस क्षेत्र में प्रतिदिन तेल का कितना औसत उत्पादन किया जाता है ;

(ग) क्या उस क्षेत्र में उत्पादन लागत के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कच्चे तेल और गैस की अनुमानित लागत कितनी है और क्या वहां उत्पादित गैस का उपयोग करने के लिए कोई परियोजना तैयार की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड) उस क्षेत्र में कितने मूल्य की कितनी गैस बिना उपयोग के व्यर्थ हो रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। त्रिपुरा में तेल के किसी वाणिज्यिक भंडार का पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार, त्रिपुरा में वर्ष 1991–92 के दौरान गैस की औसत उत्पादन लागत 11,848 रुपए प्रति 1000 घन मीटर आती है। 1.74 एम एम एस सी एम डी गैस का सुनिश्चित आबंटन और 3.4 एम एम एस सी एम डी गैस का "सिद्धांत रूप में" आबंटन किया गया है। वर्ष 1991–92 में त्रिपुरा में गैस का उपयोग 0.22 एम एम एस सी एम डी था।

(ड.) त्रिपुरा की गैस चूंकि "असम्बद्ध" गैस है, अतः इसका दहन नहीं किया जाता है बल्कि आवश्यकतानुसार इसका उत्पादन किया जाता है। इसलिए, कोई गैस व्यर्थ नहीं जा रही है।

मिलावटी पेट्रोल की बिक्री

4502. **श्री राम गोपाल यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कानपुर के बीच राष्ट्रीय राज मार्ग सं०–2 पर पैट्रोल पम्पों पर पैट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) यद्यपि मिलावट के संबंध में आम शिकायतें प्राप्त होती हैं, परंतु दिल्ली और कानपुर के बीच राजमार्ग नं. 2 पर मिलावट के संबंध में विशेष शिकायत सरकार को नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) पैट्रोल और डीजल में मिलावट रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

(1) तेल कंपनी के अधिकारियों द्वारा नियमित और अचानक निरीक्षण।

(2) एम एस और एच एस डी नियंत्रण आदेश, 1990 के अधीन बनस्थ की जांच।

(3) चुनिंदा स्थानों पर फरफुरल के साथ मिट्टी के तेल की डोपिंग।

(4) चल-प्रयोगशालाओं द्वारा अचानक निरीक्षण।

(5) राज्य सरकारों द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों का अचानक निरीक्षण।